विविध बैंक(पुर्नःअवलोकन) प्रकरण सं. 20/2022(GCMS 2022/33) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) शाखा 13–डी ब्लॉक, गांधी पार्क के पास, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी **बनाम 1. हरविन्दर सिंह पुत्र रेशम सिंह** निवासी ग्राम 10 एफ बड़ा, 3 के, ग्राम मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं मेन रोड, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर **2 परमजीत कौर पत्नी हरविन्दर सिंह** निवासी ग्राम 10 एफ बड़ा, 2 के, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

11.04.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली एडमिशन बहस हेतु पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सौरभ खण्डेलवाल की बहस पूर्व में सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 08.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो इस न्यायालय में विविध बैंक प्रकरण संख्या 49/2021 में दिनांक 22.11.2021 को निर्णय पारित कर खारिज कर दिया था। अब उक्त ऋण खाते में सरफेसी एक्ट के निर्धारित प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत नियमों की पालना की जा चुकी है इसलिए पूर्व में **पारित आदेश का पुर्नअवलोकन करना न्यायहित में आवश्यक है**। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा पुनः पुस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में न्यायहित में आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

मैने प्रार्थी बैंक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थीगण हरविन्दर सिंह एवं परमजीत कौर के विरूद्ध प्रस्तुत करके प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के ऋण का भुगतान न

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

किये जाने के कारण ऋणी हरविन्दर सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 11 (क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट) वार्ड नं 17, दौलतपुरा रोड़, चक 10 एफ बड़ा, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से दिलवाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी बैंक के आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज व कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया तो पाया कि **उक्त प्रकरण में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 22.11.2021 की पूर्ण पालना नहीं की और एक नया शपथ पत्र प्रस्तुत** किया है और पूर्व निर्णय दिनांक 22.11.2021 को रिव्यु करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.11.2021 से निम्न आदेश पारित किया था:

> **उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में कॉपोरेशन बैंक) का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण है और जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना न होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का** धारा 14 का प्रार्थना पत्र **स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए **अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 22.11.2021 में दिये निर्देशों की पालना न कर पुर्नअवलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में निर्णय को रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं** है। प्रार्थी बैंक को इस न्यायालय के निर्णय पर कोई आपत्ति थी तो उसे समक्ष न्यायालय (Debts Recovery Tribunal, Japur) के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी न कि पुर्नअवलोकन प्रार्थना पत्र।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors., AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) का उक्त पुर्नअवलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पूर्व आदेश की पालना न करने और वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में रिव्यू का कोई प्रावधान न होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:13 IST
Reason: SelfAttested